प्रधानमुख्यआयुक्तकार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,दिल्ली क्षेत्र,सी. आर. बिल्डिंग,

CGST & CX, DELHI ZONE, C.R. BUILDING,

आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली - 110002

I.P. ESTATE, NEW DELHI – 110002

*****

विषय: विभिन्न उच्च न्यायालयों और अन्य मंचों के समक्ष अप्रत्यक्ष कराधान के मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ/ कनिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के पैनल का गठन, अधिवक्ताओं का नवीकरण / नवीन नियुक्ति- संबंधी I

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य अपीलीय मंचों में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित अप्रत्यक्षकरों के मामलों का पक्ष रखने के लिए और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं और इससे संबंधित कार्यालयों के अप्रत्यक्ष कराधान के मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ/ कनिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के गठित पैनल में अतिरिक्त, वरिष्ठ /कनिष्ठ अधिवक्ता को सम्मिलित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. उपरोक्त अधिवक्ताके पैनल के गठन संबंधी नियम व शर्तें पत्र डी॰ ओ॰ फा॰ स॰ 278A / 43 / 07- विधि दिनांकित 05.12.2007 के 'अनुलग्नक-I'मे दिये गए हैं,जिसे वेबसाइट gstdelhizone.gov.in पर देखा जा सकता है।

3. अधिवक्ता पैनल से संबन्धित शुल्क और अन्य प्रभार,केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के पत्र फा॰ स॰ 278A/50/2011- विधि दिनांकित 14.09.2012 मे दिये गए हैं,जिसे वेबसाइट gstdelhizone.gov.in पर देखा जा सकता है।

4. पात्र और इच्छुक आवेदक,अपर आयुक्त,प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,दिल्ली क्षेत्र, केन्द्रीय राजस्व भवन,आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली -110002 के कार्यालय में आवेदन, प्रोफॉर्मा 'A' अथवा 'A-I' (जैसा लागू हो) कर सकते हैं। विधिवत भरे हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19.09.2022 है। अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले आवेदकों को साक्षात्कार की तिथि और समय सूचित किया जाएगा।

(राजेंद्र जिंदल)
अपर आयुक्त
केन्द्रीय माल एवं सेवा कर व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,दिल्ली क्षेत्र